UPMP010005162010

**न्यायालय Adj V, Mainpuri**

पीठासीन अधिकारी– (SWAPAN DEEP SINGHAL), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02717

**सत्र परीक्षण संख्याः–**Gst/558/2012

राज्य

**बनाम**

1.धर्मेन्द्र पुत्र लालाराम सिवाई थाना भोगांव जिला मैनपुरी।

2.लालाराम पुत्र छदामीलाल निवासी सिवाई थाना भोगांव जिला मैनपुरी।

3.जितेन्द्र पुत्र लालाराम निवासी सिवाई थाना भोगांव जिला मैनपुरी।

**अपराध संख्या** –1347/2009

**धारा** 2/3 गैंगस्टर एक्ट

**थाना**– भोगांव, **जिला**–मैनपुरी।

| | |
|---|---|
| अभियोजक | उत्तर प्रदेश राज्य |
| प्रतिनिधित्व | अभियोजन अधिकारी (दाण्डिक) |
| अभियुक्तगण | धर्मेन्द्र, लालाराम एवं जितेन्द्र |
| प्रतिनिधित्व | अधिवक्ता चतुर सिंह |
| प्रथम सूचना अंकित किये जाने की तिथि | 26.08.2009 |
| आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि | 25.12.2009 |
| आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिये जाने की तिथि | 05.03.2010 |
| आरोप विरचित किये जाने की तिथि | 27.09.2011 |
| साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि | 27.09.2011 |
| धारा 313 दं.प्र.सं. का बयान की तिथि | 16.06.2026 |
| निर्णय की तिथि | 04.07.2026 |

**अभियोजन साक्षियों की सूची :–**

| **क्रम संख्या** | **नाम** | **साक्ष्य का प्रकार** |
|---|---|---|
| पी.डब्लू. 1 | कां. 257 नवरतन सिंह | हमराही |
| पी.डब्लू. 2 | हैड कॉन्स्टेबल 675 प्रेमप्रकाश | चिक एफ.आई.आर व जी.डी लेखक |

| | | |
|---|---|---|
| पी.डब्लू. 3 | सेवानिवृत्त इन्सपेक्टर राजकुमार शर्मा | वादी मुकदमा |
| पी.डब्लू.4 | लोकेश कुमार | वादी मुकदमा ( एन.सी.आर 1046/09) |
| पी.डब्लू.5 | रिटायर निरीक्षक रूद्रप्रताप सिंह | विवेचक |
| पी.डब्लू.6 | रिटायर्ड एस.आई रामकुमार शर्मा | विवेचक (एन.सी.आर 134/2009) व मु.अ.सं. (1047/2009) |

**अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श :–**

| **क्रम संख्या** | **प्रदर्श संख्या** | **प्रकार** |
|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श क– 1 /पी.डब्लू.2 | चिक |
| 2. | प्रदर्श क– 2 /पी.डब्लू.2 | जी.डी |
| 3. | प्रदर्श क– 3 /पी.डब्लू.2 | नकल तहरीर की फोटो प्रति (एन.सी.आर 134/09) |
| 4. | प्रदर्श क– 4 /पी.डब्लू.2 | चिक एफ.आई.आर की फोटो प्रति (मु.अ.सं. 1047/09) |
| 5. | प्रदर्श क– 5 /पी.डब्लू.2 | चिक एफ.आई.आर की फोटो प्रति (मु.अ.सं. 1046/09) |
| 6. | प्रदर्श क– 6 /पी.डब्लू.3 | गैंगचार्ट |
| 7. | प्रदर्श क–7 /पी.डब्लू.5 | आरोप पत्र |
| 8. | प्रदर्श क–8 / पी.डब्लू.5 | अभियोजन स्वीकृति |

## निर्णय

## (आज दिनांक 04.07.2026 को उद्घोषित)

1– पुलिस थाना भोगांव द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1347/2009 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तगण धर्मेंद्र, लालाराम एवं जितेन्द्र के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के पश्चात प्रेषित किये गये आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्तगण का विचारण किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा एस.एच.ओ श्री राजकुमार शर्मा द्वारा दिनांक 26.08.2009 को थाना भोगांव पर जुबानी सूचना के आधार पर इन कथनों के साथ अभियोग पंजीकृत कराया गया कि मैं वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा मय कां. 81 अशोक कुमार व कां. 357 नवरतन सिंह व कां. 980 आंशू यादव के मय जीप सरकारी मय चालक कां. सन्तरपाल सिंह के विवेचना मजरूआत व दविश तलाश वांछित अपराधीगण व थाना क्षेत्र का भ्रमण करता हुआ वापस थाना आ रहा था कि ग्राम सिवाई पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र लालाराम निवासी सिवाई थाना भोगांव जनपद मैनपुरी एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसने अपना एक गिरोह लालाराम पुत्र छदामी लाल व जितेन्द्र पुत्र लालाराम निवासीगण ग्राम सिवाई थाना भोगांव जनपद मैनपुरी का बना

लिया है तथा समाज विरोधी कार्यों में लिप्त है। इसका तथा इसके साथियों का भय व आतंक व्याप्त हो गया है। यह गैंग समाज विरोधी क्रिया कलाप अपराध करने में संलिप्त है। जो अपने एवं अपने परिवार के लिये आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अनुचित साधनों द्वारा धन अर्जित करने में लगे हैं। इनके भय एवं आतंक से जनता त्रस्त है। यह भा.द.वि. के अध्याय 16,17 एवं 22 में वर्णित अपराध करने में अभ्यस्त अपराधी है। इनका स्वच्छंद रहना जनहित में नहीं है। इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये इनके विरूद्ध उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये गैंगचार्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मैनपुरी द्वारा अनुमोदित है। इनके द्वारा किये गये अपराध निम्नवत है। मुकदमा अपराध सँख्या 1046/2009 धारा 302 भा.दं.सं थाना भोगांव जिला मैनपुरी, मुकदमा अपराध संख्या 1047/2009 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना भोगांव मैनपुरी, एन.सी.आर संख्या 134/09 धारा 506 भा.दं.सं थाना भोगांव मैनपुरी है। अतः अभियुक्त धर्मेन्द्र, लालाराम, जितेन्द्र उपरोक्त के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कर कार्यवाही की जाये।

**3–** वादी मुकदमा की जुबानी सूचना के आधार पर स्थानीय थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 1347/2009, अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्तगण धर्मेन्द्र, लालाराम एवं जितेन्द्र के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसका खुलासा जी.डी संख्या 38 समय 20.15 दिनांक 26.08.2009 को किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्तगण व गवाहान के बयान अंकित किये तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अभियोग चलाने की अनुमति प्राप्त की एवं पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण धर्मेंद्र, लालाराम एवं जितेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

**4–** अभियुक्तगण धर्मेंद्र, लालाराम एवं जितेन्द्र के विरूद्ध न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–03,आगरा द्वारा दिनांक 27.09.2011 को धारा 2/3 उ.प्र गिरोहाबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। अभियोजन द्वारा निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया हैः–

**(A) साक्षी पी.डब्लू. 01 सी 357 नवरतन सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि–** दिनांक 26.08.2009 को मैं थाना भोगांव में तैनात था। उस समय एस.एच.ओ भोगांव श्री राजकुमार शर्मा थे। उस दिन मैं एस.एच.ओ श्री राजकुमार शर्मा के साथ सरकारी जीप से तलाश वांछित अपराधी व दविश में मामूर था। मेरे साथ कां. 81 अशोक कुमार, कां. आंशू यादव, कां. ड्राईवर सन्तर पाल भी थे। जब हम सिवाई ग्राम थाना भोगांव

पहुंचे तब मुझे ज्ञात हुआ कि गांव का धर्मेन्द्र पुत्र लालाराम, लालाराम पुत्र छदामी, जितेन्द्र पुत्र लालाराम यह लोग एक संगठित गिरोह बनाये हुये हैं और गैंग बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिये अपराध करते है और गांव के लोगों ने यह भी बताया कि उपरोक्त व्यक्तियों का क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है और इनके डर की वजह से क्षेत्र में कोई गवाही नहीं देना चाहता है। इनके विरूद्ध अपराध संख्या 1046/09 धारा 302 भा.दं.सं जो जमीनी विवाद कमलेश कुमार को गोली मारकर हत्या करने के संबंध में है जो दिनांक 07.06.2009 को थाने पर पंजीकृत है तथा अपराध संख्या 1047/09 धारा 25 आयुध अधिनियम अभियुक्त धर्मेन्द्र के खिलाफ पंजीकृत है तथा एक एन.सी.आर अन्तर्गत धारा 506 भा.दं.सं अभियुक्त लालाराम व जितेन्द्र के नाम पंजीकृत है। इन सभी मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मैं गैंगचार्ट अभियुक्तों के विरूद्ध जो पत्रावली कागज संख्या 5क है जो तत्कालीन एस.पी एवं डी.एम महोदय से अनुमोदित है। उस पर एस.एच.ओ आर.के शर्मा की मुहर लगी है और हस्ताक्षर भी है। तहरीर सीसी प्रेम प्रकाश के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। एस.एच.ओ एवं सी.सी प्रेम प्रकाश मेरे साथ तैनात रहे है। मैंने उनको लिखते पढते देखा है। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि एन.बी.डब्लू में वांछित अभियुक्तों की तलाश में गया था। ग्राम रूई के आगे गया था तो वहां बाबा मिले थे। बाबा का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। बाबा जी के पास पूरे गांव में करीब पौन घण्टा लग गया था। बाबा जी के अलावा मेरी और किसी से बात नही हुई थी। बाबा जी वांछित नहीं थे। धारा 506 भा.दं.सं का वादी कौन है, मैं पत्रावली पर देखकर बात सकता हूं, धारा 506 भा.दं.सं में चार्जशीट नहीं आयी है, पत्रावली उपलब्ध नहीं है। मैं नहीं बता सकता कि इन पर इस गैंगचार्ट में वर्णित मुकदमों के अलावा अन्य कोई मुकदमा लंबित हो।

अन्य कोई भी उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष नहीं आया।

**(B) साक्षी पी.डब्लू.2 हैड कानि. 675 प्रेम प्रकाश ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया** कि दिनांक 26.08.2009 को मैं थाना भोगांव बहैसियत कानि. क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन तत्कालीन थाना प्रभारी श्री राजकुमार शर्मा द्वारा एक अदद अनुमोदित शुदा चार्ट लाकर दाखिल किया गया तथा उनके द्वारा दिनांक 26.08.2009 को समय 20.15 बजे जुबानी सूचना मुझे कानि. क्लर्क से बोल–बोल कर मु.अ.सं. 1347/09 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्तगण धर्मेंद्र, लालाराम, जितेन्द्र के विरूद्ध चिक संख्या 269/2009 पर मुकदमा पंजीकृत कराया था थाना प्रभारी द्वारा दी गयी जुबानी सूचना को मैंने चिक के पृष्ठ संख्या 02 पर उन्होंने जैसा बोला था, मैंने वैसे ही अंकित किया था। चिक किता करने के

उपरान्त मैंने थाना प्रभारी चिक पर उनके द्वारा जुबानी सूचना के नीचे व चिक पर बहैसियत थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर बनवाये थे तथा चिक पर मैंने अपना कानि. क्लर्क के रूप में हस्ताक्षर बनाया था वे चिक कागज पत्रावली पर कागज संख्या 38अ/1 लगायत 38अ/2 के रूप में संलग्न है जिस पर मेरा कानि. क्लर्क के रूप में हस्ताक्षर है जिसे मैं तस्दीक करता हूं जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उक्त चिक की नकल रपट कायमी जी.डी संख्या 38 समय 20.15 बजे दिनांक 26.08.2009 को मैंने इन्द्राज रोजनामचा आम में इन्द्राज किया था तथा इसी जी.डी में मैंने थाना प्रभारी द्वारा दाखिल किये गये अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट का खुलासा किया था। नकल रपट कायमी जी.डी की कार्बन प्रति जो मूल से समान प्रक्रिया से तैयार की गयी है जिसकी मूल मैं पुलिस कार्यालय से साथ लेकर आया हूँ। मूल से मिलान की गयी पत्रावली में संलग्न कार्बन प्रति 39 अ इसी मूल की कार्बन प्रति है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मूल से मिलान कर तस्दीक व प्रमाणित करता हूं जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली में वर्णित अभियोग एन.सी.आर सं. 134/09 धारा 506 भा.दं.स की एन.सी.आर मुकदमा वादी लोकेश कुमार इसी तहरीर के आधार पर मैंने दिनांक 29.07.2009 को समय 11.45 बजे विरूद्ध अभियुक्तगण लालाराम, जितेन्द्र अन्य लोगों के विरूद्ध किता किया था। एन.सी.आर किता करने के उपरान्त मैंने वादी के हस्ताक्षर बनवाये थे जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर कागज संख्या 8अ/5 के रूप में संलग्न है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे आज मैं स्वयं प्रमाणित व तस्दीक करता हूं जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया तथा गैंगचार्ट में वर्णित अभियोग अपराध संख्या 1047/09 धारा 25 आयुध अधिनियम की चिक दिनांक 07.07.2009 को समय 20.05 बजे विरूद्ध धर्मेन्द्र चिक सं. 197/09 की चिक मैंने अपने लेख व हस्ताक्षर में किता किया था जो पत्रावली में कागज संख्या 8अ/12, 8अ/13, 8अ/14 के रूप में संलग्न है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे आज मैं प्रमाणित व तस्दीक करता हूं प्रदर्श क–4 डाला गया। गैंगचार्ट में वर्णित अभियोग 1046/09 धारा 302 भा.दं.सं की चिक थाने पर नियुक्त मेरे साथ कानि. 362 नेकराम के लेख व हस्ताक्षर में किता की है जिनके लेख व हस्ताक्षर जानता पहचानता हूं जिसे मैं तस्दीक करता हूं जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि अभियुक्त लालाराम और जितेन्द्र के विरूद्ध धारा 506 भा.दं.सं, एन.सी.आर पंजीकृत है। इस सम्बन्ध में विवेचना का आदेश हुआ या नहीं एन.सी.आर पर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अभियुक्तगण गिरोह बनाकर रह रहे है या नहीं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अन्य कोई उल्लेखनीय तथ्य उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष नहीं आया।

(C) **साक्षी पी.डब्लू.3 सेवानिवृत्त राजकुमार शर्मा ने अपने मुख्य बयान में सशपथ कथन किया कि –** दिनांक 24.08.2009 को मैं थाना भोगांव पर इन्सपेक्टर के पद पर तैनात था। उस दिन हमराही पुलिस बल के साथ देहात गश्त व शांति व्यवस्था व तलाश वांछित अपराधों क्षेत्र में मामूर था तो जनता के लोगों से अभियुक्तगण धर्मेन्द्र , लालाराम व जितेन्द्र की आपराधिक गतिविधियों के बारे में पूछताछ करके जानकारी हुई, धर्मेन्द्र, लालाराम का एक संगठित गिरोह है, गैंग का लीडर है, इनका समाज में भय और आतंक व्याप्त है। ये अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अनुचित साधनों द्वारा अपने लाभ के लिये सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर कमलेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभियुक्तगणों का थाना भोगांव पर आकर आपराधिक इतिहास देखा गया तो इनके विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 1046/2009 धारा 302 भा.दं.सं का तीनों अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत है तथा मु.अ.सं. 1047/2009 धारा 25 आयुध अधिनियम का धर्मेंद्र के खिलाफ पंजीकृत है तथा एन.सी.आर नं. 134/09 धारा 506 भा.दं.सं अभियुक्तगण लालाराम, जितेन्द्र के खिलाफ पंजीकृत है। दिनांक 24.08.2009 को गैंगचार्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों द्वारा अग्रसारित करके श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन लिया गया गैंगचार्ट पर मेरे हस्ताक्षर है तथा दिनांक 26.08.2009 को अपराध संख्या 1347/2009 चिक सं० 264/09 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया, जुबानी पंजीकृत कराया। चिक कानि. प्रेम प्रकाश ने किता की थी। चिक पर मेरे हस्ताक्षर है। गैंगचार्ट पत्रावली पर कागज संख्या 5क के रूप में मौजूद है जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं तस्दीक करता हूं। अभियुक्तगण धर्मेन्द्र, लालाराम, जितेन्द्र के विरूद्ध अपराध संख्या 1347/2009 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट दिनांक 26.08.2009 को जुबानी सूचना देकर पंजीकृत करायी गयी थी व चिक पत्रावली में मूल रूप से कागज संख्या 38अ/1 व 38अ/2 प्रदर्श क–1 के रूप में संलग्न है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिसको मैं तस्दीक करता हूं। गैंगचार्ट में वर्णित अभियोग अपराध संख्या 1046/09 धारा 302 भा.दं.सं के अभियोग में अभियुक्तगण द्वारा कमलेश कुमार को गोली मारकर हत्या किये जाने पर इस घटना से अभियुक्तगणों का क्षेत्र में आतंक फैल गया जनता में भय और आतंक फैल गया। अभियुक्तगणों के विरूद्ध आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिये धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि दिनांक 24.08.2009 को मैं सिवाई गांव गया था, मैं ग्राम सिवाई दिन में पहुंचा था समय का ध्यान नहीं है, जनता के लोग मिले थे, नाम ध्यान नहीं है। मैं व्यक्तिगत किसी के घर पर नहीं गया था। थाना से ग्राम सिवाई तक जनता के लोग मिले थे, नाम नहीं मालूम। उस दिन मैंने कोई अपराधी नहीं पकड़ा था, थाना

भोगांव क्षेत्र में 2–3 गैंग चला रहे थे, किन–किन के गैंग चला रहे थे नाम याद नहीं है, मुझे गैंगस्टर के किसी का नाम नहीं मालूम। मैंने इस केस की तहरीर थाने में बैठकर बोल–बोल कर लिखायी थी, गैंगचार्ट मेरे द्वारा बनाया गया था। गैंगचार्ट दिनांक 27.08.2009 को बनाया था। धर्मेन्द्र, लालाराम, जितेन्द्र के खिलाफ बनाया था, धर्मेन्द्र के खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं का मुकदमा व 25 आयुध अधिनियम का था, लालाराम व जितेन्द्र पर भी 302 भा.दं.सं का व 25 आयुध अधिनियम का मुकदमा था। धर्मेंद्र खेती करते थे मुझे जानकारी नहीं है कि लालाराम रू प्राथमिक पाठशाला में प्रधानाध्यापक के पद पर थे या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। मैं अपने थाने का रिकॉर्ड या अन्य थाने का रिकॉर्ड नहीं देखा था और न मुझे किसी की जानकारी है। गांव में किसने शिकायत की थी, इन लोगों के खिलाफ शिकायत करने वालों के नाम याद नहीं है। इन लोगों के खिलाफ जुबानी शिकायत आयी थी लिखित में नहीं आयी थी। लालाराम के भतीजे का मर्डर हुआ था। यह कहना गलत है कि लालाराम, जितेन्द्र, धर्मेन्द्र किसी तरह का कोई गैंग चलाते हो।

अन्य कोई उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष नहीं आया।

(D) **साक्षी पी.डब्लू.4 लोकेश कुमार ने अपने मुख्य बयान में सशपथ कथन किया कि –** दिनांक 06.07.2009 को मैं अपने मकान की छत पर अपने पिता कमलेश कुमार पुत्र प्रताप सिंह व माता श्रीमती राममूर्ति देवी पत्नी कमलेश कुमार के साथ खाना खाकर करीब 09.00 बजे लेटकर आपस में बातचीत कर रहे थे तभी धर्मेन्द्र पुत्र लालाराम, लालाराम पुत्र छदामी लाल, जितेन्द्र पुत्र लालाराम तीनों अपने मकान की छत से होकर मेरे छत पर आ गये। लालाराम के हाथ में लाईसेंसी बन्दूक 12 बोर की, जितेन्द्र के हाथ में लाठी और धर्मेंद्र के हाथ में 315 बोर का अवैध तमंचा था। लालाराम ने धर्मेन्द्र से कहा कि कमलेश को गोली मार दो ताकि इनकी जमीन और मकान पर हम लोग कब्जा कर ले। इस पर धर्मेन्द्र ने तमंचे से मेरे पिता कमलेश के पीठ में मेरे सामने गोली मार दी, जिससे हमारे पिता कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गये। जब मैंने और मेरे माता ने शोर शराबा किया तो गांव के लोग आ गये और अभियुक्तगण उपरोक्त मौके से धमकाते हुये भाग गये। मैं गांव वालों की मदद से अपने पिता कमलेश को लेकर जिला अस्पताल आया जहां से उनकी गंभीर हालत देखते हुये उनको आगरा रेफर कर दिया, रास्ते में उनकी गोली लगने से आयी गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गयी। इस घटना की रिपोर्ट मैंने थाना भोगांव पर तहरीर देकर मुकदमा दिनांक 07.07.2009 को लिखाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पूर्व में प्रदर्श क–5 अंकित है। इस मामले में उपर्युक्त तीनों अभियुक्तगण को दिनांक 30.11.2021 को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड की सजा हो चुकी है। मेरे पिता की हत्या के पश्चात दिनांक 27.07.2009 को शाम 04.00 बजे लालाराम

पुत्र छदामीलाल, जितेन्द्र पुत्र लालाराम तथा और अन्य लोगों के साथ मिलकर नगला मुंशी फार्म पर अवैध हथियारों के साथ घर लिया था और हत्या के मामले में समझौता करने का दबाव बनाते हुये धमकी दी, जिसके संबंध में मैंने दिनांक 29.07.2009 को थाना भोगांव पर मुकदमा लिखाया था, जिसकी छाया प्रति पत्रावली पर प्रदर्श क–3 के रूप में पत्रावली पर संलग्न है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। जमानत पर छूटने के पश्चात अभियुक्तगण मुझे तथा मेरे परिवार को बार–बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तथा दिनांक 09.07.2024 को हमारे घर में समय 09.15 बजे शाम को पहले ईंट पत्थर फेंके जब मैंने गेट खोलकर देखा तो धर्मेन्द्र पुत्र लालाराम, धर्मेन्द्र का बड़ा लड़का विनय कुमार व धर्मेन्द्र की पत्नी ये तीनों लोग हमारे घर मे घुस आये और मारपीट की। दिनांक 08.04.2025 को धर्मेन्द्र के बड़े लड़के विनय कुमार ने लालाराम और धर्मेंद्र के उकसाने पर जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढा दिया जिसमें धर्मेन्द्र का एक और लड़का अजय कुमार शामिल था जब मैं साइकिल से जा रहा था, मेरी साईकिल टूट गयी थी और मुझे चोटें गंभीर रूप से आयी थी, जिसकी रिपोर्ट लिखाने मैं थाने पर गया। मेरी रिपोर्ट थाने पर नहीं लिखी तब मैंने सी.एम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवायी , जिस पर पुलिस वालों ने अभियुक्तगणों से मिलीभगत कर जांच रिपोर्ट लगा दी। ये लोग कभी भी किसी वक्त मेरे व मेरे परिवार के ऊपर हमला कर चोट पहुंचा सकते हैं।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि धर्मेन्द्र, लालाराम मेरे परिवार के थे, लालाराम मेरे चचेरे बाबा है। मेरे बाबा का नाम प्रताप सिंह था, लालाराम व प्रताप सिंह दोनों सगे भाई थे, धर्मेन्द्र व जितेन्द्र चचेरे चाचा लगते है। मेरे व लालाराम के मकान पास–पास हैं। हमारे मकान एक गली में है। अपनी छत से मेरी छत पर आये थे, करीब 15–20 कदम की दूरी से मैंने देख लिया था, अपनी छत पर थे, तब इन लोगों ने कुछ नहीं कहा था। लालाराम और जितेन्द्र ने कहा कि इनकी जमीन व मकान पर कब्ज कर ले। उस समय मुझसे कुछ नहीं कहा, घटना होने के बाद कहा। जब घटना घटी तब मेरे पिताजी लेटे हुये थे। जब गोली मारी तब लेटे हुये थे सभल नहीं पाये, गोली पीठ में पीछे से मारी थी। मेरे पिता जी ने देख लिया था, मुझे गोली नहीं मारी थी। मैंने मुल्जिमानों को पकड़ने का प्रयास किया तब तक गाली गलौज करते हुये भाग गये। अपने मकान की तरफ भागे। घटना को अंजाम देने में 4–5 सेकण्ड लगे। तहरीर मैंने स्वयं लिखी थी, लालाराम उस समय हैड मास्टर थे और सरकारी थे और खेती बाडी करते थे। लालाराम, जितेन्द्र, धर्मेंद्र पर इस घटना से पहले किसी तरह के कोई मुकदमा नहीं थे। इस मुकदमे के अलावा और मुकदमें दर्ज हुये हैं। गैंगचार्ट में तीन मुकदमें दर्शाये है। उसके अलावा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

अन्य कोई उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष नहीं आया।

(E) **साक्षी पी.डब्लू.5 रिटायर निरीक्षक रूद्रप्रताप ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि** – दिनांक 04.09.2009 को मैं बतौर थानाध्यक्ष बेवर में तैनात था। मेरे पूर्वाधिकारी एस.ओ श्री वी.पी सिंह द्वारा इस मुकदमें में अपराध सँख्या 1347/09 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना भोगांव की विवचेना जरिये पर्चा नं. 01 दिनांक 31.08.2009 को किता किया था। दिनांक 04.09.2009 को मैं थानाध्यक्ष बेवर नियुक्त हुआ था और विवेचना ग्रहण करते हुये सी.डी दो दिनांक 04.09.2009 को किता किया जिसमें थाना भोगांव जाकर बयान लेखक एन.सी.आर कां. ओमप्रकाश व जांचकर्ता एस.आई श्री रामकुमार का बयान लिया वादहू सी.डी तीन दिनांक 15.09.2009 को किता किया जिसमें मुल्जिमान का वारंट बनवाया गया वादहू सी.डी 04 दिनांक 25.10.2009 को किता किया जिसमें मुल्जिमान को तलब करने का न्यायालय से वारंट बनवाया गया। वादहू सी.डी 5 दिनांक 02.11.2009 को किता किया जिसमें थाना भोगांव आकर या जाकर बयान मुकदमा वादी एस.एच.ओ राजकुमार शर्मा का लिया एवं गवाहान एफ.आई.आर अशोक कुमार, सी. नवरतन सिंह, कां. आशू यादव, कां. लोकेश कुमार एवं विवेचक एस.आई राजकुमार शर्मा व लेखक एफ.आई.आर 1046/09 के लेखक कां. नेकराम का बयान अंकित किया। वादहू सी.डी नं. 6 दिनांक 13.11.2009 को किता किया जिसमें अभियुक्त का रिमाण्ड अवधि बढवाया, पुनः सी.डी 6ए दिनांक 13.11.2009 को मुल्जिमान का बयान लिया गया। सी.डी 7 दिनांक 18.12.2009 को किता किया जिसमें अभियुक्तगण का रिमाण्ड लिया गया दिनांक 25.12.2009 को जरिये सी.डी 8 अभियुक्तगण के धर्मेंद्र, जितेन्द्र पुत्रगण लालाराम तथा लालाराम पुत्र छदामी लाल निवासी सिवाई थाना भोगांव जिला मैनपुरी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र किता किया। आरोप पत्र सं. 404/09 किता किया वादहू जरिये एस.सी.डी दिनांक 05.02.2010 मुल्जिमानों की रिमाण्ड बढवायी गयी अवधि अभियोग चलाने हेतु तथा जरिये एस.सी.डी द्वितीय दिनांक 20.02.2010 को अभियोग चलाने हेतु श्रीमाल पुलिस अधीक्षक के गस्ती आदेश संख्या वाचक / एस.पी अपराध सँख्या 30/2010 दिनांक 19.02.2010 को प्राप्त होते ही समस्त सी.डी माननीय न्यायालय को प्रेषित की। आरोप पत्र पत्रावली पर कागज संख्या 3अ/1 लगायत 3अ/3 के रूप में संलग्न है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया तथा पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा दी गयी अभियोजन अनुमति पत्रावली पर कागज संख्या 06 क के रूप में संलग्न है जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मुल्जिमानों के विरूद्ध अपराधों का वर्णन गैंगचार्ट में है। अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध दो अभियोग थे, लालाराम व जितेन्द्र के विरूद्ध गैंगचार्ट में दो अभियोग थे। अभियुक्तगणों के खिलाफ अन्य मुकदमें की मुझे कोई जानकारी नहीं है।

अन्य कोई उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष नहीं आया।

**(F) साक्षी पी.डब्लू.6 श्री रिटायर्ड एस.आई रामकुमार ने अपने मुख्य बयान में सशपथ कथन किया कि** मैं वर्ष 2009 में थाना भोगांव पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। दिनांक 29.07.2009 को थाना हाजा पर पंजीकृत एन.सी.आर नंबर 134/2009 धारा 506 भा.दं.सं की जांच मेरे द्वारा की गयी तो बकयात सही पाये गये तथा नामित अभियुक्तगण लालाराम पुत्र छदामीलाल व जितेन्द्र पुत्र लालाराम के विरूद्ध मेरे द्वारा दिनांक 02.08.2009 को 107/116 सी.आर.पी.सी की कार्यवाही अमल में लायी गयी। मुकदमा अपराध संख्या 1047/2009 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम धर्मेन्द्र पुत्र लालाराम निवासी ग्राम सिवाई थाना भोगांव जिला मैनपुरी की विवेचना मेरे द्वारा की गयी थी। तमामी विवेचना के आधार पर बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल, बयान अभियुक्त व बरामदगी माल के आधार पर घटना सत्य पायी गयी। अभियुक्त के खिलाफ धारा 25 आयुध अधिनियम का जुर्म साबित हुआ, जिसके आधार पर आरोप पत्र 216 /2009 दिनांक 04.08.2009 को मा. न्यायालय प्रेषित किया गया, जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर कागज संख्या 8 व /15 लगायत 8 व /17 है।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मुझे याद नहीं है कि एन.सी.आर 134/2009 धारा 506 भा.दं.सं थाना भोगांव मैनपुरी का वादी कौन था, इसकी जांच मैंने की थी। इसमें किस किस के बयान दर्ज किये थे इस समय याद नहीं है। इसकी जांच करने मैं ग्राम सिवाई में गया था। जांच करने गये थे मुझे याद नहीं है कि कौन कौन मिला था। जांच में चालानी रिपोर्ट दाखिल की गयी थी, आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता है।

अन्य कोई उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष नहीं आया।

**5–** अभियोजन की ओर से मौखिक साक्षियों के अतिरिक्त अभियोजन साक्ष्य के रूप में सत्र परीक्षण संख्या 45/1983 धारा 148,149,452,302 भा.दं.सं, राज्य बनाम लालाराम आदि थाना भोगांव जिला मैनपुरी के निर्णयादेश के सत्यापित प्रतिलिपि एवं मुकदमा अपराध संख्या 1046/2009 धारा 302 भा.दं.सं थाना भोगांव के निर्णयादेश की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

**6–** तदनुसार अभियोजन द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किया गया एवं अभियुक्तगण के कथन अर्न्तगत धारा 313 द.प्र.सं अंकित करने हेतु आहुत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त ने आरोप के सम्बन्ध में कथन किया कि जी नहीं गलत आरोप लगाया गया है एवं अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.01 कां. 357 नवरतन सिंह, पी.डब्लू.02 हैड कानि. 675 प्रेम

प्रकाश, पी.डब्लू.3 सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा, पी.डब्लू.4 लोकेश कुमार, पी.डब्लू.5 रिटायर्ड निरीक्षक रूद्रप्रताप, पी.डब्लू.6 रिटायर्ड एस.आई रामकुमार के बयानों को गलत बताया इसके अतिरिक्त मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया और सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

**7–** विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कराये गये साक्षियों द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध करके अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह बनाकर जमीन के विवाद को लेकर कमलेश कुमार की दिनांक 06.07.2009 को गोली मारकर रात्रि 08.00–08.30 बजे हत्या की गयी जिसके सम्बन्ध में मृतक के पुत्र लोकेश कुमार द्वारा तहरीर देकर मु.अ.सं. 1046/09 पंजीकृत कराया गया। उक्त मुकदमें में उपयोग किये गये हथियार की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध मु.अ.सं. 1047/09 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कराया गया। उक्त दोनों मुकदमों में अभियुक्तगण को सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2021 को दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास से दण्डित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त मुकदमें के वादी मुकदमा को धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक 29.07.2009 को एक एन.सी.आर सं. 134/09 भी पंजीकृत की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 107/116 दं.प्र.सं. की कार्यवाही भी अमल में लायी गयी थी। अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है जिसके द्वारा आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हत्या व जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराध कारित किये गये हैं। मुख्यतः इन्हीं आधारों पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने का कथन किया गया।

**8–** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण का कोई संगठित गिरोह नहीं है और न ही उनके द्वारा गैंगचार्ट में वर्णित मुकदमों में व्याख्यित अपराध कारित किये गये हैं। अभियुक्तगण आपस में पिता पुत्र हैं जिनमें अभियुक्त लालाराम पिता है तथा धर्मेन्द्र व जितेन्द्र उसके पुत्र हैं। अभियुक्तगण का सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर मु.अ.सं. 1046/09 के वादी लोकेश कुमार के परिवार से पारिवारिक रंजिश चल रही थी जिस कारण अभियुक्तगण को लोकेश कुमार द्वारा अपने पिता कमलेश कुमार की हत्या के झूठे मुकदमें में अभियुक्तगण को फंसाया गया है एवं न्यायालय में झूठी गवाही देकर अभियुक्तगण को गलत रूप से दोषसिद्ध भी कराया गया जिसके विरूद्ध अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी है, जिसमें अभियुक्तगण को दोषमुक्त होने का पूर्ण विश्वास है। अभियुक्तगण का कोई भी आपराधिक इतिहास अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस मुकदमें सत्र परीक्षण संख्या 45/1983 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है वह मात्र अभियुक्त लालाराम के विरूद्ध था जिसमें की अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्णयादेश से ही सिद्ध

होता है कि अभियुक्त को उस मुकदमें दिनांक 27.05.1983 को दोषमुक्त किया जा चुका था। उक्त मुकदमें एवं गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमों के अतिरिक्त अभियुक्तगण का कोई भी आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। गैंगचार्ट में जो भी मुकदमें हैं वे लोकेश कुमार से चल रहे पारिवारिक जमीनी रंजिश से सम्बन्धित है न कि किसी संगठित गिरोह द्वारा कारित अपराध है। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में भी गंभीर विरोधाभास है जो कि उनके साक्ष्य को संदेहास्पद बनाता है। मुख्यतः इन्ही आधारों पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का कथन किया गया।

**9– न्यायालय द्वारा विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने व पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।**

**10 –** अभियुक्तगण पर आरोप है कि वे गिरोहबंद है और अपने व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से हिंसा, हिंसा की धमकी, प्रदर्शन, अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने के आशय से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिये अनुचित दुनियावी (टेम्पोरल) आर्थिक अथवा भौतिक लाभ कमाने के आशय से वर्ष 2000 में थाना बेवर जिला मैनपुरी में निम्नलिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप कियेः–

1. अभियुक्त धर्मेन्द्र – अपराध संख्या 1046/2009 धारा 302 भा.दं.सं व 1047/09 धारा 25 आयुध अधिनियम
2. अभियुक्त लालाराम– अपराध संख्या 1046/2009 धारा 302 भा.दं.सं व एन.सी.आर 134/09 धारा 506 भा.दं.सं
3. अभियुक्त जितेन्द्र –अपराध संख्या 1046/2009 धारा 302 भा.दं.सं व एन.सी.आर 134/09 धारा 506 भा.दं.सं

इस प्रकार अभियुक्तगण को उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम की धारा 2/3 से आरोपित किया गया।

**निष्कर्ष**

**11–** उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा **2 ख** के अनुसार–

*"गिरोह का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियो के समूह से है जो लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित दुनियावी (टेम्पोरल), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीडन द्वारा या अन्य प्रकार से निम्नलिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते है–*

*1–भा0 द 0 सं0 1860 के अध्याय 16 या अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, या*

*2–................................।"*

उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा **2 ग** के अनुसार–

*''गिरोह बंद का तात्पर्य किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड में प्रगणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिये चाहे ऐसे क्रिया कलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।''*

*इस प्रकार गिरोह की परिभाषा की अपेक्षा है कि–*

*(क) गिरोह का तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से है।*

*(ख) इन व्यक्तियों ने या तो अकेले या सामूहिक रूप से आपराधिक कृत्य हो*

*(ग) ऐसे कृत्य में हिंसा या धमकी या अभित्रास या प्रपीडन का प्रदर्शन हो।*

*(घ) ऐसे कृत्य लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से किये हो।*

**12–** न्यायालय को निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं पर विचार करना है:–

*(1) क्या अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह बनाकर गैंगचार्ट में वर्णित अपराध कारित किये गये थे एवं क्या उक्त अपराध संगठित गिरोह के रूप में लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के के लिये कोई अनुचित दुनियावी आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कारित किये गये थे ?*

*(2) क्या अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित किया गया है ?*

**12.1– विचारणीय बिन्दु संख्या –01**

*क्या अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह बनाकर गैंगचार्ट में वर्णित अपराध कारित किये गये थे एवं क्या उक्त अपराध संगठित गिरोह के रूप में लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के के लिये कोई अनुचित दुनियावी आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कारित किये गये थे ?*

**12.2–** गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्त धर्मेन्द्र, लालाराम व जितेन्द्र के विरूद्ध संयुक्त रूप से मु.अ.सं. 1046/09 धारा 302 भा.दं.सं पंजीकृत है एवं उक्त मुकदमें से सम्बन्धित बरामद

हथियार के सम्बन्ध में एक अन्य मुकदमा मु.अ.सं. 1047/09 धारा 25 आयुध अधिनियम अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध पृथक से पंजीकृत है। उक्त दोनों मुकदमों के अतिरिक्त अभियुक्तगण लालाराम व जितेन्द्र के विरूद्ध एक एन.सी.आर 134/09 धारा 506 भा.दं.सं भी गैंगचार्ट में पंजीकृत दर्शायी गयी है। मु.अ.सं. 1046/09 धारा 302 भा.दं.सं एवं मुकदमा अपराध संख्या 1047/09 धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत रूप से अभियुक्तगण को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, जिसके सम्बन्ध में पत्रावली पर अभियोजन द्वारा निर्णयादेश दिनांकित 30.11.2021 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। चूंकि उक्त दोनों मुकदमों में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जा चुका है, अतः उक्त दोनों मुकदमों के सम्बन्ध में बिना कोई टिप्पणी किये न्यायालय को उक्त निर्णयादेश दिनांकित 30.11.2021 के आधार पर प्रथम दृष्टया यही परिकल्पना करनी न्यायोचित रहेगी कि उक्त दोनों अपराध संभवतःअभियुक्तगण द्वारा ही कारित किये गये होंगे। जहां तक गैंगचार्ट में दर्शित एन.सी.आर सं. 134/09 धारा 506 भा.दं.सं का प्रश्न है तो एन.सी.आर के सम्बन्ध में पी.डब्लू.6 रिटायर्ड एस.आई रामकुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उक्त एन.सी.आर के सम्बन्ध में दिनांक 02.08.2009 को उसके द्वारा धारा 107/116 दं.प्र.सं. की कार्यवाही अभियुक्तगण के विरूद्ध अमल में लायी गयी थी। हालाकि पत्रावली पर उक्त एन.सी.आर के अनुक्रम में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई भी प्रपत्र मौजूद नहीं है किन्तु उक्त साक्षी के साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त अपराध भी संभवतः अभियुक्तगण द्वारा किया गया होगा। न्यायालय यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि उक्त अपराधों को कारित करने में न्यायालय जो प्रथम दृष्टया उक्त अभियुक्तगण की भूमिका होना संभवतः मान रहा है उसका कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया निर्णयादेश है एवं उक्त निर्णयादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील लम्बित है जिसका निर्णय अन्तिम रूप से स्वीकृत माना जायेगा एवं न्यायालय द्वारा जो परिकल्पना की गयी है उसका लम्बित अपील से कोई न तो सम्बन्ध है एवं न ही उस अपील पर कोई प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव डालने का न्यायालय का कोई उद्देश्य है। न्यायालय द्वारा की गयी उक्त परिकल्पना मात्र इस निर्णयादेश तक सीमित है।

**12.3–** अब जब न्यायालय विश्लेषण करकर प्रथम दृष्टया यह मान चुका है कि गैंगचार्ट में वर्णित अपराध संभवतः अभियुक्तगण द्वारा कारित किये गये थे तो अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या उक्त अपराध कारित करने से पूर्व अभियुक्तगण द्वारा कोई संगठित गिरोह बनाया गया था जिसका उद्देश्य अपना भय व आतंक फैलाकर लोक व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये भौतिक, आर्थिक या दुनियावी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गैगचार्ट में वर्णित अपराध कारित करना था।

**12.4–** हस्तगत प्रकरण के वादी मुकदमा पी.डब्लू.3 सेवानिवृत्त राजकुमार शर्मा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक लाभ के लिये सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर कमलेश कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी प्रकार मुकदमा अपराध संख्या 1046/09 के वादी मुकदमा लोकेश कुमार द्वारा पी.डब्लू.04 के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनांक 06.07.2009 को जब अपने मकान की छत पर वह अपने पिता कमलेश व माता राममुर्ति देवी के साथ रात्रि 09.00 लेटकर बात कर रहा था तब धर्मेन्द्र, जितेन्द्र व लालाराम अपने मकान की छत से उसकी छत पर लाईसेंसी बंदूक 12 बोर लाठी व 315 बोर का अवैध तमंचा लेकर आये तो लालाराम ने धर्मेन्द्र से कहा कि कमलेश को गोली मार दो ताकि वे उसकी जमीन व मकान पर कब्जा कर ले, जिससे पर धर्मेन्द्र ने उसके पिता कमलेश की पीठ में गोली मार दी। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि धर्मेन्द्र, लालाराम उसके परिवार के थे एवं लालाराम उसके चचेरे बाबा हैं जो कि उसके बाबा प्रताप सिंह के सगे भाई थे एवं धर्मेन्द्र व जितेन्द्र उसके चचेरे चाचा लगते हैं। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि गैंगचार्ट में दर्शित तीन मुकदमों के अतिरिक्त अभियुक्तगण पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उक्त दोनों साक्षियों के साक्ष्य से यही प्रतीत होता है कि मु.अ.सं. 1046/09 के वादी एवं अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनका सम्पत्ति को लेकर आपसी विवाद चल रहा था एवं यदि मु.अ.सं. 1046/09 में वर्णित घटना घटित हुई है तो वह घटना उक्त सम्पत्ति के विवाद की रंजिश को लेकर घटित घटना थी। गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को गिरोहबंद मानने के लिये यह आवश्यक है कि उसका एक गिरोह है, जो लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन , या अभित्रास, प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत वर्णित समाज विरोधी क्रिया कलाप करता हो। गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत गिरोह की जो यह परिभाषा दी गयी है उसमें गिरोह के लिये जिस उपबन्ध का वर्णन किया गया है वह समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हों, है जिससे यह अभिप्राय निकलता है कि उस गिरोह का उद्देश्य सक्रिय रूप से गिरोह की उद्देश्य की प्राप्ति के लिये समाज विरोधी क्रिया कलाप करना हो न कि किसी पारिवारिक रंजिश को लेकर किये गये अपराध से उक्त परिभाषा का कोई अभिप्राय है। हस्तगत प्रकरण में गैंगचार्ट में जो भी मुकदमें प्रदर्शित किये गये हैं वे सब स्वीकृत रूप से एक ही परिवार के दो पक्षों के मध्य जारी विवाद से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण के अभियुक्त स्वीकृत रूप से आपस में पिता पुत्र हैं एवं गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमों के अतिरिक्त सत्र परीक्षण संख्या 45/1983, जो कि मात्र लालाराम के विरूद्ध पंजीकृत था एवं जिसमें लालाराम को दोषमुक्त किया गया था, को छोड़कर कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं दिखाया गया है।

न्यायालय इस सम्बन्ध में पूर्व में ही विश्लेषण कर चुका है कि गैंगचार्ट में दर्शित सभी मुकदमें एक ही परिवार के दो पक्षों के मध्य आपसी जमीनी रंजिश को लेकर पंजीकृत किये गये थे जिससे यह तथ्य किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता है कि गैंगचार्ट में दर्शित अपराध किसी संगठित गिरोह द्वारा कारित किये गये थे। चूंकि न्यायालय को यह समाधान हो चुका है कि गैंगचार्ट में दर्शित अपराध यदि कारित भी किये गये थे तो वे एक ही परिवार के दो पक्षों द्वारा आपसी जमीनी रंजिश को लेकर कारित किये गये थे न कि किसी संगठित गिरोह द्वारा कृत अपराध थे, अतः गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमों में दोषसिद्ध होने मात्र से अभियुक्तगण को गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत भी दोषी मानना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं है। जहां तक गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमों का प्रश्न है तो उनमें वर्णित अपराध के लिये पृथक रूप से भा.दं.सं एवं आयुध अधिनियम में सजा का प्रावधान है जिसमें अभियुक्तगण को पूर्व में दोषसिद्ध भी किया जा चुका है।

**12.5–** इसके अतिरिक्त यदि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाये तो अभियोजन द्वारा कुल 06 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है जिनमें से पी.डब्लू.01 नवरतन सिंह हस्तगत प्रकरण के वादी का हमराह है एवं उसने अपनी मुख्य परीक्षा में दौराने वांछित अपराधी अभियुक्तगण के गिरोह सम्बन्ध में पता चलने का कथन किया है किन्तु उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट कथन किया है कि जो मुकदमें अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत थे वे जमीनी विवाद को लेकर कमलेश कुमार को गोली मारकर हत्या करने के सम्बन्ध में थे। उक्त साक्षी द्वारा किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया जिससे उन्हें अभियुक्तगण के गिरोह के सम्बन्ध में पता चला हो, अपितु उक्त साक्षी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमें आपसी जमीनी रंजिश को लेकर थे। पी.डब्लू.2 हैड कां. प्रेम प्रकाश पूर्ण रूप से औपचारिक श्रेणी का साक्षी है एवं उसने अपने सम्पूर्ण साक्ष्य में अभियुक्तगण के संगठित गिरोह होने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया एवं केवल विभिन्न अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध किया है। साक्षी पी.डब्लू.3 सेवानिवृत्त राजकुमार शर्मा हस्तगत प्रकरण का वादी मुकदमा है एवं उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण के संगठित गिरोह होने के सम्बन्ध में जनता आम से पता चलने का कथन किया गया किन्तु साक्षी पी.डब्लू01 की तरह ही उक्त साक्षी द्वारा भी न तो इस बात का कोई प्रमाण दिया गया कि उसे किससे अभियुक्तगण के गैंग के सम्बन्ध में पता चला और अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमों का कारण सम्पत्ति के बंटवारे की रंजिश होना स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया गया कि गांव में अभियुक्तगण के विरूद्ध किसने शिकायत की थी उसे याद नहीं एवं यह कहना गलत है कि अभियुक्त लालाराम, धर्मेन्द्र व जितेन्द्र किसी तरह का गैंग चलाते हो। साक्षी पी.डब्लू.04 लोकेश कुमार मु.अ.सं. 1046/09 का वादी मुकदमा है एवं उक्त साक्षी के साक्ष्य के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पूर्व में ही विश्लेषण किया जा चुका है कि उक्त साक्षी की साक्ष्य से यही

सिद्ध होता है कि यदि गैंगचार्ट में वर्णित अपराध अभियुक्तगण द्वारा कारित किये भी गये हो तो वे आपसी पारिवारिक जमीनी रंजिश को लेकर थे न कि किसी संगठित गिरोह द्वारा कृत अपराध थे। साक्षी पी.डब्लू.5 रिटा. निरीक्षक रूद्रप्रताप हस्तगत प्रकरण के विवेचक हैं एवं उन्होंने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण के संगठित गिरोह के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है एवं औपचारिक साक्षी की तरह मात्र अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध करने का साक्ष्य दिया है। पी.डब्लू.06 रिटायर्ड एस.आई रामकुमार मु.अ.सं. 1047/2009 धारा 25 आयुध अधिनियम एवं एन.सी.आर सं. 134/09 धारा 506 भा.दं.सं के विवेचक है एवं उन्होंने भी अभियुक्तगण के संगठित गिरोह के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है एवं मात्र अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध करने का साक्ष्य दिया है।

**12.6 –** चूंकि सर्वप्रथम तो न्यायालय को यह समाधान हो चुका है कि यदि गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमों में वर्णित अपराध अभियुक्तगण पूर्व में दोषसिद्धि होने के कारण यह मान भी लिया जाये कि उनके द्वारा ही कारित किये गये थे तो वे अपराध आपसी पारिवारिक जमीनी रंजिश को लेकर थे न कि किसी सक्रिय संगठित गिरोह द्वारा कृत अपराध थे एवं द्वितीय अभियोजन भी अपने साक्षियों के माध्यम से पृथक रूप से अभियुक्तगण के किसी सक्रिय संगठित गिरोह होने के आरोप को सिद्ध करने में असफल रहा है, अतः अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य एवं अन्य की गयी विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत लगाये गये आरोप किसी भी प्रकार स्थापित नहीं हो रहे है।

**13– विचारणीय बिन्दु संख्या –02**

*क्या अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित किया गया है?*

**13.1 –** किसी भी व्यक्ति पर गैंगस्टर का आरोप साबित करने हेतु अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह यह सिद्ध करे कि अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाया गया है एवं उक्त गिरोह द्वारा अपराध कारित करके या तो आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित किया गया है या अपराध कारित करके जनता आम में कोई भय व्याप्त कर लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया है। ऐसा कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा कोई संगठित गिरोह बनाया गया हो एवं उनके द्वारा कृत अपराध यदि उनके द्वारा दोषसिद्धि होने के कारण कारित किये भी गये हो तो वे अपराध संगठित रूप से गिरोह बनाकर कारित किये गये हो या उनके द्वारा संगठित गिरोह के रूप में किये गये किसी भी कृत्य से समाज में कोई भय व्याप्त हुआ हो या लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई हो या अवैध भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया हो।

14– निर्णय विधि **गोविन्दा राजू उर्फ गोविन्दा बनाम स्टेट द्वारा श्री रामपुरम पी0 एस0 एवं एक अन्य 2012 (78) ए0सी0सी0 545** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि–

''जब तक आपराधिक आरोप साबित नहीं होता है जब तक अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। अभियोजन को प्रत्येक स्थिति में अभियुक्त के ऊपर आरोपित अपराध को युक्ति युक्त रूप से सन्देह से परे साबित करना अनिवार्य होता है। यह भार अभियुक्त पर नहीं होता है कि वह अपनी निर्दोषिता साबित करे।

पुनः स्वर्णिम विधि व्यवस्था **भगवान सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2002) 4 एस.सी.सी पेज 85** के प्रकरण में **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा यह अवधारित किया गया कि–

*" आपराधिक प्रकरण में न्याय प्रशासन का एक सुनहरा सिद्धान्त है कि जहॉ परीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्षियों के शपथ पर दिये गये बयान तथा साक्ष्यों से दो अभिमत इस प्रकार उभरकर सामने आते है जिनमें से एक अभियुक्त की दोषिता तथा दूसरा अभियुक्त को निर्दोषिता की ओर इशारा करता है ऐसे मामले में अभियुक्त के पक्ष जाने वाले अभिमत को वरियता दी जानी चाहिए।''*

इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के ऊपर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त होने योग्य हैं।

## आदेश

गैंगस्टर वाद संख्या 558 सन् 2012, उत्तर प्रदेश राज्य धर्मेन्द्र आदि, मु.अ.सं. 1347/2009 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना भोगांव, जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत अभियुक्तगण धर्मेन्द्र, लालाराम एवं जितेन्द्र को उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त जमानत पर हैं। उनके बंध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अपील न होने दशा में बाद मियाद अपील व अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार विधि अनुसार माल मुकदमाती निस्तारित किया जाये।

अभियुक्तगण द0प्र0सं0 की धारा 437ए के अन्तर्गत **20,000/–** रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू इस अंडर टेकिंग के साथ 05 दिवस के

अन्दर दाखिल करेंगे कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील होती है तो वे स्वयं उपस्थित होंगे।

दिनांक 04.07.2026

**( स्वपन दीप सिंघल )**UP2717
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–5, मैनपुरी

आज यह निर्णयादेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–04.07.2026

**( स्वपन दीप सिंघल )**UP2717
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–5, मैनपुरी।

आशुलिपिकः– निपेन्द्र सिंह

SWAPAN DEEP SINGHAL
Digitally signed by SWAPAN DEEP SINGHAL
Date: 2026.07.06 17:14:05 +0530